

प्रारूप-३ (संस्करण-७)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता/कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र

युआईसी संख्या : UPFS/2023/78584/SBL/SAMBHAL/505/CFD
दिनांक : 08-04-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **VIDYAKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL BAGAU BABRALA TEHSIL GUNNAUR DISTT SAMBHAL** पता 1183, BAGAU BABRALA, GUNNAUR तहसील - GUNNAUR प्लॉट एरिया 6070 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 666.27 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -
ब्लॉक/टावर : प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या : बैसमेंट की संख्या : ऊँचाई :
SCHOOL BUILDING : 0 : 8.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **VIDYAKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL BAGAU BABRALA TEHSIL GUNNAUR DISTT SAMBHAL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 10-04-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **सज्जत अग्रवाल** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रथमतः भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (कागज सेप्टरी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वेधत तिथि 11-04-2023 से 10-04-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अधिशामन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए कियागीत बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अधिशामन व्यवस्थाओं में पायी गयी वार्मों के कलस किसी भी घटना के लिए मेसर्स **VIDYAKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL BAGAU BABRALA TEHSIL GUNNAUR DISTT SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का मनीमोकरय निर्धारित समयान्तरों के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त भन लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **VIDYAKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL BAGAU BABRALA TEHSIL GUNNAUR DISTT SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी।

Note : एफएसएसओ गुज्रार की आख्या के अनुसार प्रथमतः शैक्षिक भवन भूतल एवं प्रथमतल पर निर्मित है, परन्तु भवन स्वामी/प्रबंधन द्वारा केवल भूतल भवन का प्रयोग किया जा रहा है, प्रथमतल प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में आवेदक/प्रबंधन द्वारा आवेदन के साथ शपथ पत्र अपलोड किया गया है। भवन के भूतल पर एन0बी0सी0 2016 के अनुसार अधिशामन व्यवस्था उपलब्ध है, भूतल भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है एवं भवन स्वामी/प्रबंधन को निर्दिष्ट किया जात है, कि भविष्य में भवन के प्रथमतल का प्रयोग करने से पूर्व सुरक्षित मानकों के अनुसार अधिशामन व्यवस्था स्थापित कराकर अधिशामन विभाग से भवन के प्रथमतल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"प्रारूप प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अन्तर्गत पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भवन / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 11-04-2023
स्थान : SAMBHAL

मुख्य अधिशामन अधिकारी

(विधिवत रूप से हस्ताक्षरित)

Krishna Kant Ojha

SEB/2023/CFD/2023-2026/505/CFD/10/04/2023

11/04/2023

Kanishk
Manager
Vidyakunj International School
Babrala (Sambhal) U

Principal
Vidyakunj International School
Babrala (Sambhal)